

कार्यालय जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के तहत रैखिक
परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक –
28.10.2014 को निर्गत दिशा-निदेश के तहत)

संख्या – 715,

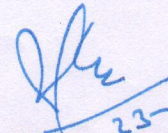
दिनांक – 23/09/2021

प्रमाणित किया जाता है कि शेखपुरा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी एच0पी0सी0एल0 द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल – शेखपुरा में बरबीघा से शेखपुरा पथ के किनारे एच0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु कुल – 30 मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.0225 हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि श्री अशोक यादव के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक – 1221, दिनांक – 14.07.2021 द्वारा FRA 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका – 1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक – 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :- शेखपुरा

तिथि :-


23-9-21
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा